न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

मिसल नम्बर / नवान .... बनाम ....

प्रकरण संख्या ..../ अन्तर्गत धारा...

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
19/4/23	वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। TDR KPR से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। शामिल मिसल रहे। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया। वादीगण अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/05/23 को पेश हो।	विभाजन प्रस्ताव शामिल
18/5/23	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 कैम्प कोर्ट ग्रा.प. 50F मे पेश हुई। निर्णय अलग से लिखवाया। जाकर सुनाया गया। वादीगण का वादपत्र TDR KPR के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार किया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)	
19/5/23	आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पेश की गई। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति TDR KPR को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:47:21 I
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 148/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मनजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख उम्र 60 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. सुखदेव सिंह पुत्र गांधा सिंह जाति जटसिख उम्र 62 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. लखवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख उम्र 35 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी आस्ट्रेलिया जरिये मुख्तायरे आम सुखदेव सिंह पुत्र गांधा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. आत्मा सिंह पुत्र हरदीत सिंह जाति रायसिख निवासी चक 48 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. सन्ता सिंह पुत्र हरदीत सिंह जाति रायसिख निवासी चक 48 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. बलवन्त सिंह पुत्र हरदीत सिंह जाति रायसिख निवासी चक 48 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. महेन्द्र कौर पत्नी हरदीत सिंह जाति रायसिख निवासी चक 48 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 13.07.2022

उपस्थितः 1.श्री राजेन्द्र रमाणा अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय-- **दिनांकः 18.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 48 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 99/99 के मु0नं0 40 के किला नं0 6 ता 20 की 4.957 है0 नहरी भूमि में से वादी सख्या 1 मनजीत कौर के नाम 0.784 है0, वादी सख्या 2 सुखदेव सिंह के नाम 1.873 है0 एंव वादी सख्या 3 लखवीर सिंह के नाम 1.061 है0 सभी वादीगण के नाम 3.718 है0 नहरी भूमि दर्ज कागजात माल चली आ रही है। समस्त वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा अपने नाम उपरोक्त आराजी को इक्ट्ठी ही काश्त करते है। इसलिए तमाम वादीगण उपरोक्त चक 48 एफ की आराजी में अपने पूरे परिवार का खाता अलग करवाना चाहते है। चक 48 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 99/99 के मु0नं0 40 के किला नं0 6 ता 20 की 4.957 है0 नहरी भूमि में से वादी सख्या 1 मनजीत कौर के नाम 0.784 है0, वादी सख्या 2 सुखदेव सिंह के नाम 1.873 है0 एंव वादी सख्या 3 लखवीर सिंह के नाम 1.061 है0 सभी वादीगण के नाम 3.718 है0 भूमि दर्ज है। उपरोक्त खाता सख्या 99/99 के मु0नं0 40 के किला नं0 11 की 0.228 है0, किला नं0 12 ता 19 प्रत्येक सालम-सालम किला नं0 20 व 21 प्रत्येक 0.227 [illegible] एंव किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 3.718 है0 भूमि वादीगण का संयुक्त [illegible] चला रहा है। उक्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत [illegible] नहीं हुआ है। [illegible] एंव प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि का वाहमी बंटवारा किया हुआ [illegible] प्रतिवादीगण अपनी-अपनी भूमि लगातार काबिज काश्त चले आ रहे [illegible] लिये अपने हिस्सा में आई उक्त अराजी का किलावाईज राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन करवाना चाहते है। मुश्तरका खाता की अराजी के सम्बन्ध में विधि के सुस्थापित प्रावधान है कि मुशर्तका खाता की सम्पत्ति का विभाजन करवाये बिना कोई भी हिस्सेदार किसी अजनबी व्यक्ति को भूमि का किलावाईज बेचान नहीं कर सकता और मुशर्तका खाता की अराजी में ऋण आदि लेने में दिक्कतें पेश आती हैं और मुशर्तका खाता की अराजी होने के कारण भविष्य में वारिसान के मध्य झगड़े आदि होने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:47:21 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (राजस्व)

नौबत बनी रहती है। इसलिये वादीगण अपने नाम दर्ज उक्त खातेदारी भूमि का अपने-अपने हिस्सानुसार अलग से खाता विभाजन करवाना चाहते है, जिसके वादीगण अधिकारी है। वादीगण ने आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। इसलिये वादी को श्रीमान् जी के न्यायालय में उक्त दावा पेश करना जरूरी हो गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावेः-कि चक 48 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता सख्या 99/99 के मु0नं0 40 के किला नं0 11 की 0.228 है0, किला नं0 12 ता 19 प्रत्येक सालम-सालम किला नं0 20 व 21 प्रत्येक 0.227-0.227 है0 एंव किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 3.718 है0 भूमि का खाता वादीगण के नाम से अलग किया जाकर, लगान भूमि भी अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जावे तथा तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर को इस आशय का आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु जारी किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यू होने के संबध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो वाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 महेन्द्र कौर को मृतक दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। अधिवक्ता वादीगण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 48 एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 4.957 हेक्टैयर भूमि में वादी मनजीत कौर के हिस्सा में 0.784 हेक्टैयर, वादी संख्या 2 सुखदेव के हिस्सा में 1.873 हेक्टैयर, वादी संख्या 3 लखवीर सिंह के हिस्सा में 1.061 हेक्टैयर भूमि भूमि का बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस वादिया अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादिया अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादिया अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का [illegible] किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:47:21 IST
Reason: SelfAttested

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आदेश की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 48 एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 4.957 हेक्टैयर भूमि में वादी मनजीत कौर के हिस्सा में 0.784 हेक्टैयर, वादी संख्या 2 सुखदेव के हिस्सा में 1.873 हेक्टैयर, वादी संख्या 3 लखवीर सिंह के हिस्सा में 1.061 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मनजीत कौर आदि बनाम आत्मा सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 आरटीए,
प्रकरण संख्या 148/2022

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
मनजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख उम्र 60 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर (0.784हेक्टैयर) सुखदेव सिंह पुत्र गांधा सिंह जाति जटसिख उम्र 62 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर (1.061 हेक्टैयर) लखवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख उम्र 35 वर्ष निवासी चक 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरनपुर (1.873 हेक्टैयर)	48 एफ	41	11 12 ता 19 20 21 22 ता 25	0.227 हेक्टैयर 2.024 हेक्टैयर 0.227 हेक्टैयर 0.227 हेक्टैयर 1.012 हेक्टैयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.88 1.88 1.89 1.33 2.10

खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा ोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम र बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 18.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:47:21 IST
Reason: SelfAttested